

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ निरस्त/ /2023 दि0 26 अक्टूबर, 2023

-:: संशोधित आदेश ::-

मुख्यालय के आदेशांक 1278/2023 दिनांक 29-09-2023 के द्वारा जनपद-मुजफ्फरनगर में युगलपीठ का गठन दिनांक 16-11-2023 से 18-11-2023 तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, मेरठ एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ मुजफ्फरनगर को नामित किया गया था।

सदस्य पीठ-मुजफ्फरनगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 208 दिनांक 26-10-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवार में आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण वह दिनांक 16-11-2023 एवं दिनांक 17-11-2023 को अवकाश पर होने के कारण युगलपीठ में सम्मिलित होने में असमर्थ हैं।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य कारणों के दृष्टिगत, सम्यक रूप से विचार करते हुए दिनांक 16-11-2023 से 18-11-2023 तक गठित युगलपीठ तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों/पीठ कार्यालयों को सूचित किया जाये।

ह0-26-10-2023,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0संशो0/1385/2023 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, मेरठ पीठ-1, मेरठ।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, मुजफ्फरनगर पीठ मुजफ्फरनगर।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/ विवरण/वेव अधिकारी/मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।